20/4/25

पत्रावली वास्ते रिपोर्ट पेश हुई। उक्त पत्र उपरान्त प्रा.पत्र प्रार्थी आवेदक का किया जाता है। विस्तृत रिपोर्ट शामिल किया जाता है। पत्रावली नंबर से दर्ज हो रिकॉर्ड भिजवाया गया।

GCMS 2025/68

BV

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai
Prakash Meena
Date: 2026.04.21 18:39:35 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम
(नियम 26)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी–सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

मनफूलदास बनाम इमीचन्द वगैरह

किस्म मुकदमाः–212 आर.टी.ए. प्रकरण संख्याः–25/2025 (GCMS No. 2025/68)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.04.2026	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी के दादा अप्रार्थी संख्या–1 के पिता हुणताराम पुत्र गोविन्द जाति बैरागी साकिन हरदासवाली तहसील सूरतगढ़ के नाम से वाके भूमि रोही हदासवाली तहसील सूरतगढ़ के खसरा संख्या 135/4.01 बीघा एवं खसरा संख्या 136 में 29.08 बीघा कुल 22.09 बीघा भूमि 1/2 हिस्सा खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड थी। प्रार्थी के दादा हुणताराम के नाम की उक्त भूमि चकबंदी में पैमुद करते समय चक 1 बी.पी.एस.एम. में पैमुद हुई। प्रार्थी के दादा हुणताराम के देहान्त के उपरान्त उक्त जैरवाद भूमि वाके चक 1 बीपीएसएम के खाता संख्या 8/7 की 1.214 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी भूमि प्रार्थी के पिता अप्रार्थी संख्या–1 को विरास्तन प्राप्त हुई। प्रार्थी के पिता अप्रार्थी–1 के नाम से भूमि वाके चक 1 बीपीएसएम के खाता संख्या 181/8 के पत्थर नं. 173/46 के किला नं. 10/0.202 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि प्रार्थी के पिता अप्रार्थी संख्या–1 ने जरिये बैयनामा जसराम पुत्र लेखराम को बैचान कर दी है। प्रार्थी के पिता अप्रार्थी संख्या–1 के कुल 6 वारिसान है। प्रार्थी की बहनों अप्रार्थी संख्या 5 व 6 का विवाह प्रार्थी के पिता अप्रार्थी संख्या–1 व प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 ने आपसी सहयोग से दान–दहेज देकर विवाह किया है। प्रार्थी के पिता अप्रार्थी संख्या–1 ने अपने हक व हिस्सा की भूमि का बेचान कर दिया है। अप्रार्थी संख्या–1 के नाम जैरवाद पैतृक सहदायी सम्पति होने के कारण प्रार्थी का 1/6 हिस्सा बनता है। अप्रार्थी संख्या–1 के द्वारा उक्त सहदायी सम्पति का आपसी सहमति व रजाबंदी के साथ बंटवारा कर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 को उक्त जैरवाद रकबा में 1/6–1/6 हक/हिस्सा प्रत्येक का कब्जा मौका पर दे दिया गया जिस पर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 शांतिपूर्वक काश्त करते आ रहे है। अप्रार्थी संख्या–1 उक्त रकबा अपने नाम से अंकित होने के कारण अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 के बहकावे में आकर प्रार्थी के हक व हिस्सा की भूमि हड़पने की नियत से अप्रार्थी संख्या–1 आये दिन प्रार्थी को धमकिया देता है कि उक्त रकबा का कब्जा छोड़ देवे अन्यथा जबरिया बेदखल कर दिया जावेगा तथा रकबा को बेंचान कर दूंगा। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 27.01.2025 को वाद पत्र के निर्णय तक स्थाई किया जावे। वकील अप्रार्थी–1 ने जवाब प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए बताया कि वादी द्वारा वाद पत्र झुठे तथ्य अंकित कर प्रस्तुत किया हुआ है। अप्रार्थी संख्या 5 व 6 का विवाह अप्रार्थी संख्या–1 ने ही अपने सामर्थ्य अनुसार किया था। अप्रार्थी संख्या–1 ने अपना हिस्सा की भूमि का बेचान सभी की सहमति से व पारिवारिक राय से किया गया था। जो कि उस की परिस्थितियां थी। अप्रार्थी संख्या–1 के नाम से स्वंपैदाकर्ता सम्पति चक 2 एच.डब्लयू.डी.–ए के खाता संख्या 30 की 9.614 हैक्टर भूमि थी। जिसमें अप्रार्थी संख्या–1 से प्रार्थी ने अपने नाम से 2.404 हैक्टर भूमि जरिये दान पात्र दिनांक 13.07.2020 को अपने नाम से करवा लिया। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 के नाम से भी इसी दिन अप्रार्थी संख्या–1 ने अपनी पैदाकर्ता सम्पति को ब.हि.ब. सभी के नाम से दान पात्र करवा ली। उक्त जैरवाद भूमि को पारिवारिक राय से अप्रार्थी संख्या–1 के हिस्सा में छोड़ा गया था। जो कि अप्रार्थी संख्या–1 को अपने जीवनयापन हेतु रखा था। प्रार्थी को इसका हिसा	

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.21 18:39:35 IST
Reason: SelfAttested

अ हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.04.2026	दिया जा चुका है। अप्रार्थी संख्या–1 खातेदार कृषक है। खातेदार कृषक के विरूद्ध स्थगन आदेश जारी नही किया जा सकता है। प्रार्थी को उसका हिस्सा जरिये दान पात्र दिया जा चुका है। इसलिये प्रार्थना पत्र प्रार्थी निरस्त किया जाकर पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त की जावे। वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2074 ता 77 चक 1 बी.पी.एस.एम. के खाता संख्या 8/7 की 1.214 हैक्टर कमाण्ड भूमि अप्रार्थी संख्या–1 के नाम से अंकित है। प्रार्थी द्वारा खसराजात की जमाबंदी प्रस्तुत की हुई है। किन्तु ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है कि इसी खसरा से जैरवाद रकबा पैमुद हुआ है। मात्र कथन से रकबा पैतृक साबित नही होता है एवं साथ ही खातेदार कृषक के विरूद्ध भी स्थगन जारी किया जाना उचित नही है। इसलिये प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार किया जाकर पूर्व में जारी टी.आई. दिनांक 27.01.2025 भी निरस्त किया जाता है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ Signature Not Verified Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena Date: 2026.04.21 18:39:35 IST Reason: SelfAttested (भरत जय प्रकाश मीना) I.A.S. उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ सूरतगढ़ (राज.)	